

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-17**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100464

दिनांक: 23/01/2026

**लोक सूचना**

श्री AVYUKTA EARTH ESTATE INDIA LIMITED MANAGING DIRECTOR UPENDRA SINGH SHEKHAWAT पुत्र श्री KISHORE SINGH SHEKHAWAT जाति RAJPUT निवासी C-27 METAL COLONY BEHIND HOTEL LIBRA AMBA BARI JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का अन्य संस्थानिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बदनपुरा, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) अव्युक्ता अर्थ एस्टेट इंडिया लिमिटेड जरिये प्रबंध निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत पुत्र किशोर सिंह शेखावत हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत मकान संख्या C 27 कॉलोनी मेटल कॉलोनी क्षेत्र / स्थान अम्बाबाड़ी जयपुर शहर जयपुर पिन कोड 302039 जिला JAIPUR राज्य RAJASTHAN खातेदार	288/435	0.08	0.08
2.	बदनपुरा, रामपुरा डाबडी (जयपुर)	1.) अव्युक्ता अर्थ एस्टेट इंडिया लिमिटेड जरिये प्रबंध निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत पुत्र किशोर सिंह शेखावत हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत मकान संख्या C 27 कॉलोनी मेटल कॉलोनी क्षेत्र / स्थान अम्बाबाड़ी जयपुर शहर जयपुर पिन कोड 302039 जिला JAIPUR राज्य	548/288	0.36	0.2554

		RAJASTHAN खातेदार				
					कुल	0.3354

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **23-01-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)  
RAJASTHAN PATRIKA & PRATAHKAL

प्राधिकृत अधिकारी जोन-17  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

